

17.02.2021

पत्रावली पेश हुई। चूंकि इस प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित मूल वाद संख्या 02/19 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर. टी.एक्ट को वादी द्वारा नोट प्रेस किये जाने से ड्रॉप कर निर्णित किया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में आगे कि कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वादपत्र संख्या 02/19 के साथ नत्थी रहें।

उपखण्ड अधिकारी
हलियाकली (भीलवाडा) राज

NOT PRESS
सुनीलकुमार शर्मा
अधिका वादी.

